

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री जयसिंह आरएएस



सु०नं० - 75/2021 (2021/123)

ओमप्रकाश पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

— वादी

## बनाम

1. अमरसिंह पुत्र माईसुख जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. जगदीश पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. रामनिवास पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. बी०ओ०बी भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बेरवाल : वादी

वकील श्री सतवीर बैनीवाल : प्रतिवादी सं० 1 ता 3

निर्णय

दिनांक : 16/7/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भांगवा के खाता सं० 89/76 के खसरा सं० 14 की 4.489 है०, खसरा सं० 15 की 0.6830 है०, खसरा सं० 17 की 0.7210 है०, खसरा सं० 18 की 1.5050 है०, खसरा सं० 261 की 0.6320 है०, खसरा सं० 262 की 4.6660 है०, खसरा सं० 263 की 1.4030 है०, खसरा सं० 264 की 1.2520 है०, खसरा सं० 265 की 2.5290 है०, कुल खसरा 9 की 17.8800 है० बारानी कृषि भूमि, राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रतिवादी सं० 1 व उसके भाई रामसिंह के नाम 282-12/15 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है व रोही मौजा भांगवा के खाता सं० 109/106 के खसरा सं० 84 की 2.0100 है०, खसरा सं० 86 की 2.4020 है०, खसरा सं० 87 की 0.7210 है० खसरा सं० 131 की 0.2650 है०, खसरा सं० 132 की 0.6700 है०, खसरा सं० 162 की 1.5050 है०, खसरा सं० 186 की 1.7580 है०, खसरा सं० 201 की 5.4630 है०, खसरा सं० 202 की 5.7790 है०, खसरा सं० 207 की 0.9990 है०, खसरा सं० 225 की 1.7200 है०, कुल खसरा 11 की 23.2920 है० बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं० 1 का 1/20 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। रोही मौजा भांगवा के खाता सं० 113/109 के खसरा सं० 202/430 की 0.253 है०, खसरा सं० 207/431 की 0.253 है०, कुल खसरा 2 की 0.5060 है० कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रतिवादी का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। रोही मौजा भांगवा के खाता सं० 112/108 के खसरा सं० 200 की 1.3020 है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है रोही मौजा भांगवा के खाता सं० 3/3 के खसरा सं० 163 की 8.2320 है०, कुल खसरा 1 की 8.2320 है० कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज, जिसमें प्रतिवादी सं० 1 के नाम 13-1/2 हिस्सा दर्ज है। रोही मौजा भांगवा के खाता सं० 51/18 के खसरा सं० 96 की 2.6810 है० बारानी, खसरा सं० 97 की 3.5910 है० बारानी, खसरा सं० 208 की 0.8980 है० बारानी कुल खसरा 3, कुल 7.1700 है० बारानी में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 0.3695 है० बारानी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। रोही मौजा भांगवा के खाता सं० 114/110 के खसरा सं० 13 की 3.0600 है० बारानी कृषि

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1.275 है०, राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। रोही मौजा भांगवा में खाता सं० 4 के खसरा सं० 312 की 4.8940 है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। रोही मौजा भांगवा के खाता सं० 69/60 के खसरा सं० 187 की 3.7050 है० बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें से प्रतिवादी सं० 1 के नाम 40 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व रोही मौजा भांगवा के खाता सं० 121/115 के खसरा सं० 73 की 7.2710 है० बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रतिवादी सं० 1 के नाम 40 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त कृषि भूमि संयुक्त परिवार की सहदायिक कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक व हिस्सा है। सहदायिकी कृषि भूमि की आय से संयुक्त परिवार द्वारा कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं० 1 के नाम से खाता संख्या 69/60 के खसरा सं० 187 में 40 हिस्सा व खाता सं० 121/115 में खसरा नं० 73, 80, 150, 168, 169 में 40 हिस्सा कीमतन खरीद की हुई है व खाता सं० 4 के खसरा नं० 312 की 4.8940 है० खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं० 1 का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त कृषि भूमि जरिये डिक्री राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादिशा सं० 5 परोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी ओमप्रकाश के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम भांगवा खाता सं० 89/76, 109/106, 113/109, 3/3, 112/108, 51/18, 114/110, 4, 69/60, 121/115, सम्वत् 2075 से 78 प्रदर्श 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम भांगवा सम्वत् 2043 प्रदर्श 11, 12, 13, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 14 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने जाहिर किया कि वाद कृषि भूमि संयुक्त परिवार की सहदायिकी कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक व हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम भांगवा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम भांगवा सम्वत् 2043 प्रदर्श 11, 12, 13 प्रदर्शित करवाई है उनमें रोही मौजा भांगवा के खाता सं० 69/60 के खसरा सं० 187 की 3.7050 है० बारानी कृषि भूमि के अलावा वाद कृषि भूमि वादी के दादा माईसुख वल्द गुगन के नाम दर्ज है जिससे उक्त वाद कृषि भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है किन्तु रोही मौजा भांगवा के खाता सं० 69/60 के खसरा सं० 187 बाबत वादी ने स्वयं अपने दावा में स्वीकार किया है कि उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 ने कीमतन खरीद की है। रोही मौजा भांगवा के खाता सं० 114/110 के खसरा नं० 13 की 3.0600 है० बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1.275 है०, राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना साबित नहीं पाया गया। वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 14 में अमरसिंह के वारिसान में पत्नि पार्वती व तीन पुत्र ओमप्रकाश, जगदीश एवं रामनिवास होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भांगवा के खाता सं० 89/76 के खसरा सं० 14 की 4.489 है०, खसरा सं० 15 की 0.6830 है०, खसरा सं० 17 की 0.7210 है०, खसरा सं० 18 की 1.5050 है०, खसरा सं० 261 की 0.6320 है०, खसरा सं० 262 की 4.6660 है०, खसरा सं० 263 की 1.4030 है०, खसरा सं० 264 की 1.2520 है०, खसरा सं० 265 की 2.5290 है०, कुल खसरा 9 की 17.8800 है० बारानी कृषि भूमि, राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रतिवादी सं० 1 व उसके भाई रामसिंह के नाम 282-12/15 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है व रोही

अपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
भादगा (जिला-हनुमानगढ़)

मौजा भांगवा के खाता सं० 109/106 के खसरा सं० 84 की 2.0100 है०, खसरा सं० 86 की 0.6700 है०, खसरा सं० 87 की 0.7210 है० खसरा सं० 131 की 0.2650 है०, खसरा सं० 132 की 5.4630 है०, खसरा सं० 162 की 1.5050 है०, खसरा सं० 186 की 1.7580 है०, खसरा सं० 201 की 5.7790 है०, खसरा सं० 202 की 0.9990 है०, खसरा सं० 207 की 1.7200 है०, कुल खसरा 11 की 23.2920 है० बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं० 1 का 1/20 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। रोही मौजा भांगवा के खाता सं० 113/109 के खसरा सं० 202/430 की 0.253 है०, खसरा सं० 207/431 की 0.253 है०, कुल खसरा 2 की 0.5060 है० कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रतिवादी का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। रोही मौजा भांगवा के खाता सं० 112/108 के खसरा सं० 200 की 1.3020 है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है रोही मौजा भांगवा के खाता सं० 3/3 के खसरा सं० 163 की 8.2320 है०, कुल खसरा 1 की 8.2320 है० कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज, जिसमें प्रतिवादी सं० 1 के नाम 13-1/2 हिस्सा दर्ज है। रोही मौजा भांगवा के खाता सं० 51/18 के खसरा सं० 96 की 2.6810 है० बारानी, खसरा सं० 197 की 3.5910 है० बारानी, खसरा सं० 208 की 0.8980 है० बारानी कुल खसरा 3, कुल क्षेत्रफल 7.1700 है० बारानी में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 0.3695 है० बारानी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। रोही मौजा भांगवा में खाता सं० 4 के खसरा सं० 312 की 4.8940 है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। रोही मौजा भांगवा के खाता सं० 121/115 के खसरा सं० 73 की 7.2710 है० बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रतिवादी सं० 1 के नाम 40 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं० 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 3 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि बीओबी बैंक शाखा भादरा के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्त घोषणा अनुसार वाद कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। रोही मौजा भांगवा के खाता सं० 69/60 के खसरा सं० 187 की 3.7050 है० बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 के नाम यथावत् रखी जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16/7/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जयसिंह)  
उपखण्डाधिकारी (राजस्व),  
R.A.S.  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)  
उपखण्ड अधिकारी

भादरा, जिला हनुमानगढ़